R 4254-PBR-16

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
प्र.क. /निगरानी/2016

1. पुरूषोत्तम पुत्र रामचन्द्र
2. कैलाशनारायण पुत्र रामचन्द्र
जाति खाती निवासी ग्राम मोहम्मदपुर मछनई तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

.......प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. लक्ष्मीचंद पुत्र भारतसिंह
जाति खाती निवासी ग्राम मोहम्मदपुर मछनाई तहसील कालापीपल जिला शाजापुर
2. ललिताबाई पुत्र भरतसिंह पति मोहनसिंह
जाति खाती निवासी ग्राम देवली तहसील टोंक जिला देवास म.प्र.
3. रम्भाबाई पुत्री भारतसिंह पति चन्दर सिंह निवासी ग्राम सेवदा तहसील आष्टा जिला सीहोर
4. मथुराबाई विधवा रामचन्द्र निवासी मोहम्मदपुर मछनाई तहसील कालापीपल जिला शाजापुर
5. राधाबाई पुत्री रामचन्द्र पति मनोहर निवासी ग्राम रनायल तहसील कालापीपल जिला शाजापुर
6. सीमाबाई पुत्री रामचन्द्र पति शिवनारायण निवासी ग्राम कौशलपुरा तहसील इच्छावर जिला सीहोर म0प्र0

......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य संहिता 1959विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय शुजालपुर द्वारा प्र0क0 50 अपील 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2016 से दुखित होकर।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

i. यह कि, प्रातिप्रार्थी कमांक 1 लक्ष्मीचंद ने श्रीमान् तहसीलदान मोहदय कालापीपल द्वारा प्रकरण कमांक 20 अ-6 2015-16में पारित आदेश

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4254-पीबीआर/16 जिला शाजापुर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 50/अपील/2014-15 में पारित आदेश दि. 7-12-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अनावेदकपक्ष को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी होने के उपरांत भी अनावेदक जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है इसलिये अवधि बाह्य अपील को समय सीमा में मान्य करने में त्रुटि हुई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहारवाद के प्रकरण में निर्णय अनावेदक क्रमांक1 के विरूद्ध हो जाने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है जिसे समय सीमा में मान्य करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । 4- अनावेदक क्रमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से अपील प्रस्तुत करने में हुये 6 दिन के विलम्ब को माफ कर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है, जो न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 6 दिन का विलम्ब क्षमा किया गया है, क्योंकि अनावेदकपक्ष को तहसील न्यायालय में नोटिस की तामीली नहीं हुई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दि. 7-12-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	